भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **607**
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

खजुराहो विमानपत्तन

607. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि खजुराहो विमानपत्तन का हवाई संपर्क सीमित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने खजुराहो की विरासत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे उड़ानों के माध्यम से जोधपुर, मुम्बई और कोलकाता से जोड़ने हेतु उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): शीतकालीन कार्यक्रम-2024 के अनुसार, दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी सेक्टर के लिए / से इंडिगो प्रति सप्ताह सात (07) उड़ानें प्रचालित कर रही है। स्पाइसजेट दिल्ली-खजुराहो-दिल्ली सेक्टर पर प्रति सप्ताह सात (07) उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(ख): देश के किसी भी शहर के लिए/से उड़ानें शुरू करना एयरलाइनों का व्यावसायिक निर्णय है, जो मार्ग की परिचालनिक व्यवहार्यता और अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त हो गया। एयरलाइनें किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ा सकती हैं, वे अपनी इच्छानुसार किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने और संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा आवंटित स्लॉट तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुमोदन के अधीन परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

******